

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 59]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 26 फरवरी 2024—फाल्गुन 7, शक 1945

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2024

क्र. एफ 1-5-5-0001-2024-छब्बीस-1.—दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन दिव्यांगजन के लिए पदों के चिन्हांकन के लिए समिति, एतद्द्वारा, अनुसूची-एक में वाणिज्यिक कर विभाग की स्थापना में, अनुसूची-दो में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिये आरक्षित पद चिन्हांकित करती है:—

अनुसूची-एक

(1) वाणिज्यिक कर विभाग

अनुसूची-“दो”

दिव्यांगजनों के लिये चिन्हांकित पदों की जानकारी

विभाग : वाणिज्यिक कर विभाग

पद की श्रेणी	पद/संबन्ध का नाम	सीधी मर्ती के कुल स्वीकृत पद	सीधी मर्ती के द्वारा मरे हुये पद	रिक्त पद (3-3a)	नियुक्तजनों के लिए चिन्हां कित पदों की कुल संख्या का कुल योग (6%)	दिव्यांगजनों हेतु चिन्हांकित पद/मरे पद/रिक्त पदों को जानकारी										रिक्त पदों की पूर्ति कर तक की जावनी					
						दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5%) चिन्हां कित पद	मरे पद	रिक्त पद	बढ़रे और कम सुनने वाले (1.5%) चिन्हां कित पद	मरे पद	रिक्त पद	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेबल पाल्सी, कुष्ठ रोग, मुक्ता, बौनापन, एसिड अटैक, पीडित सस्कूलर डिफ्रैफ्री (1.5%) चिन्हांकित पद	मरे पद	रिक्त पद	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहु-विकलांगता (1.5%)		मरे पद	रिक्त पद	कुल योग (6+8+11+14)	कुल मरे पद (6+9+12+15)	कुल रिक्त पद (7+10+13+16)
1	2	3	3(a)	3(b)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
द्वितीय	सिस्टम एनालिस्ट (सविदा)	12			01	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	
पुतीय	डेटा एन्ट्री ऑपरेटर (सविदा)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
पुतीय	अग्रेजी शीघ्र लेखक (सविदा)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
कुल		19	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज पुष्प, अपर सचिव.